

11.6.24.

पत्रावली पेश हुई। साक्षी व उनके अभिभावक उपस्थित। साक्षी द्वारा बताया गया की असाधारण वाद के अस्त भूमि में अति प्रमण करने की कोश करना बताया। साक्षी अभि द्वारा बताया गया की प्रकरण में पूर्व आदेशिका में एक पक्षीय जर्मवाही के आदेश जारी किये जा चुके हैं। वादी के हितों को ध्यान में रखते हुए मुज्ज वाद के निर्णय तक 7.2 जारी करने का निर्वेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में पूर्व में एक पक्षीय जर्मवाही के आदेश जारी किये जा चुके हैं। मुज्ज वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधासा जारी किया जाना आवश्यक मन्यथा साक्षी को अपुरीर्ण्य शक्ति जारी हो सकती है। मिथजा मुज्ज वाद के निर्णय तक पत्रार हल्का अडोर के मौजा पट्टिनिया की जमाखंदी संवत् 2075 से नख्खेखता संख्या 29 न्या. 22 पुराना के अस्त नम्बर 2235, 2236, 2237 व 2238 कुल जित 04 कुल खवा 1.06 है। भूमि पर अस्थाई निषेधासा जारी की जा कर उभय पक्षकारत का वाकंद किया जाता है कि मुज्ज वाद के निर्णय तक रिहाई व मौजे की यथा स्थिति बनाये रहें। पत्रावली फैसल सुमार कर वारिण्य पत्रार है।

2/10/24
 नि. कमल
 L.H.S.



उपस्रण्ड अधिकारी
 गढी, जिला बांसवाडा